

कार्यालय ग्राम पंचायत--

शिशु आधार

विकास खण्ड

सादात

जनपद--

गाजीपुर

पत्रांक

दिनांक 24-06-23

**विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।**

भवदीय

अवगत कराना है कि दिनांक 24-06-23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक/जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका, कोटदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के मुखिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत सादात, गाजीपुर  
वि०ख० सादात, गाजीपुर

M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P)

ग्राम प्रधान  
शिशु आधार  
ग्राम पंचायत सादात, गाजीपुर  
वि०ख० सादात, गाजीपुर



# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 24-06-23  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 20/7/23  
 डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: शिशुआपार  
 ग्राम पंचायत का नाम: शिशुआपार  
 ब्लॉक का नाम: सादात  
 जिला का नाम: गान्धीपुर  
 राज्य का नाम: उ.प्र.  
 ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंड़ों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का \_\_\_\_\_%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत पेय जल एवं स्वच्छता समिति  
 समिति को क्या कहा जाता है: \_\_\_\_\_  
 अध्यक्ष का नाम: शिव राय  
 लिंग: पुंस  
 आयु: \_\_\_\_\_

ग्राम प्रधान- शिव राय  
 प्र.पं. शिशुआपार, ब्लाक सादात, जिला गान्धीपुर, उ.प्र.

संख्या	नाम	लिंग	आयु

M.P. Singh  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	वर्तमान पंचायत (आंगनवाड़ी) एकाईक मानसौर
	परिवारों की संख्या	वर्तमान जनसंख्या
	महिलाओं की संख्या	परिवारों की संख्या
	पुरुषों की संख्या	महिलाओं की संख्या
	बच्चों की संख्या	पुरुषों की संख्या
	एफ एच टी सी की संख्या	बच्चों की संख्या
		एफ एच टी सी की संख्या

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

प्रमुख फसल	खरीक	रबी
गेहूँ		<input type="checkbox"/>
धान		<input type="checkbox"/>
ज्वार		<input type="checkbox"/>
मूंग		<input type="checkbox"/>
अन्य		<input type="checkbox"/>

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 से 180 मि. मी.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सौकर्य/संस्था का नाम	क्या एफ एच टी सी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वे/वह/उपस्थान उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता गृहों को उपलब्धता है? (हाँ/नहीं)
1.	आंगनवाड़ी			
2.	आंगनवाड़ी			
3.	आंगनवाड़ी			
4.	ग्राम पंचायत भवन			
5.	अन्य			



**पानी की कुल दैनिक आवश्यकता**

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 90.7 के.एल.डी.  
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 62 के.एल.डी.  
 मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: 2  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 112.11 के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 72 के.एल.डी.

**पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त**

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टैंकियाँ, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: ट्यूब, क्लोर, 212/122

**पानी की गुणवत्ता**

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गहराई	दृश्य रंग तुलना	
गोखुरा	दृश्य रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	द्विआयनिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	द्विआयनिक विधि	
क्लोराइड	द्विआयनिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशोषित क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आम्लता	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
असंक्रिय (हाटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

**कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान**

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवृत्ति

**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

**गंदले जल का प्रबंधन**

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 42 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 45

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 12

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 10

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	योजना गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
व्यक्तिगत/संयुक्त/संयुक्त	ग्राम स्वयंसेवा	ग्राम स्वयंसेवा, डबल सिस्टम आदि	
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एस.वी.एम.जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रेवाटर, मनेजमेंट, सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत/सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
ग्राम जीवन मिशन (जी.जी.एम.)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	पारंपरिक संचालित प्रवर्धित (एन.आर.डी.पी.) प्रवर्धित (एन.आर.डी.पी.) प्रवर्धित (एन.आर.डी.पी.) प्रवर्धित (एन.आर.डी.पी.)	



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

**संपर्क विवरण**ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. सुशिल्पा देवी = 8318727643
2. उषा = 7408620320
3. रेश्मा = 6301301572
4. सुशिल्पा = 8726312347
5. प्रेम शिल्पा = 7081344870

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर: \_\_\_\_\_

ग्राम प्रधान- **रिता राय**  
 ग्राम पंचायत, न्याय पंच शिशु अपार  
 वि० ख० सादात, तहसील जयनिका-गाजीपुर

**M.P. Singh**  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P)

ग्राम विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_  
 वि० ख० सादात, गाजीपुर